

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो।
6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये।
7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

31.01.19
(आर के बीन)
सदस्य